न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री मुकेश कुमार , आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 29/2020 (अपील)

उनवान

1. लटूरलाल पुत्र श्री मंगला बैरवा (मृतक) जरिये कायम मुकामान
1/1. श्रीमति हीराबाई पत्नी स्व0 लटूरलाल आयु 70 वर्ष
1/2. मांगीलाल पुत्र स्व0 लटूरलाल आयु 45 वर्ष
1/3. पप्पूलाल पुत्र स्व0 लटूरलाल आयु 42 वर्ष
1/4. महावीर पुत्र स्व0 लटूरलाल आयु 37 वर्ष
1/5.हंसराज पुत्र स्व0 लटूरलाल आयु 32 वर्ष
1/6 विनतो बाई पुत्री स्व0 लटूरलाल पत्नी रामरूप, आयु 26 वर्ष
1/7 सन्तोबाई पुत्री स्व0 लटूरलाल पत्नी रमेश बैरवा आयु 24 वर्ष
निवासीगण ग्राम उंचाखेडा तहसील व जिला श्योपुर म0प्र0

(अपीलाण्ट)

बनाम

1. कैलाश प्रसाद पुत्र मांगीलाल बैरवा
2 .मांगीबाई पुत्री मंगला बैरवा
3. धापूबाई पुत्री मंगला बैरवा
4 .प्रतापी बाई पुत्री मंगला बैरवा
5. सीताबाई पत्नी मांगीलाल बैरवा, निवासीगण ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री विघाशंकर गोस्वामी (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री रमाकान्त लोहिया (अभिभाषक रेस्पोडेण्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी निर्णय दिनांक 30.07.2020 बउनवान कैलाशप्रसाद बनाम लटूरलाल प्रकरण संख्या 17/2017 कार्यवाही 135(2) आर0एल आर0 एक्ट न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा

निर्णय दिनांक : 23.05.2024

अपीलाण्ट्स की ओर से जर्ये अभिभाषक यह अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा के द्वारा आदेश दिनांक 30.07.2020 पर पारित आज्ञा की अप्रसन्नता से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75) के अन्तर्गत पेश की गई संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आदेश दिनांक 30.07.2020 जैर अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय, नियम तथा तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है।

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर अभिभाषक उपस्थित हुऐ।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का लिखित बहस अपील में कथन है कि ग्राम सोभागपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में खसरा न0 304 की 8.51 है0 भूमि काश्त की आराजीयात स्थित है, जो अपीलान्ट्स के स्व0 पिता लटूरलाल के पिता मंगला बैरवा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी और अपीलान्ट्स के दादा मंगला की मृत्युपरान्त अपीलान्ट्स के पिता लटूरलाल जी के नाम जरिये फौती इन्तकाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज होनी चाहिये थी, किन्तु अपीलान्ट्स व उनके पिता लटूरलाल जी ग्रामीण परिवेश के अनपढ व कानून से अनभिज्ञ होने के कारण स्व लटूरलाल के पिता मंगला जी की मृत्यु के उपरान्त विवादित आराजीयात का फौती इन्तकाल लटूरलाल के पक्ष नहीं खुलवाया और लटूरलाल के इन्तकाल के पश्चात भी उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में स्व0 मंगला जी के नाम ही दर्ज चलती रही है चूंकि अपीलान्ट्स ग्राम उचाखेडा तहसील श्योपुर म0प्र0 में लम्बे समय पूर्व मजदूरी करने चले गये थे तभी से वही निवास कर रहे है इसलिए उनका ग्राम सोभागपुरा में बहुत कम आना जाना होता है जिसका नाजायज फायदा उठाकर अरसा पूर्व उक्त आराजीयात को रेस्पो0 कम 1 लगायत 3 द्वारा षडयंत्रपूर्ण तरीके से राजस्व अभिलेख में राजस्व अधिकारियो से सांठ–गांठ करके अपने नाम करवा लिया और बतौर खातेदार/ मालिक उक्त आराजीयात का उपयोग– उपभोग करने लगे, जिसकी जानकारी अपीलान्ट्स को हुई तो उन्होनें राजस्व अभिलेख की नकल प्राप्त की, जिसमें विवादित भूमि पर बहैसियत खातेदारी रेस्पो0 का नाम दर्ज पाया गया, जिस पर उन्होने हल्का पटवारी से उक्त तथ्य की पुष्टि की और रेस्पो0 से जाकर बातचीत की तो उनके द्वारा भी विवादित भूमि को अपनी होना बताया और अपीलान्ट्स को विवादित भूमि से बेदखल करने की धमकिया दी जिस पर अपीान्ट्स के द्वारा विवादित भूमि के संबध में तहसीलदार पीपल्दा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूमि का फौती इन्तकाल अपने पक्ष में खुलवाने हेतु निवेदन किया और रेस्पो0 द्वारा भी विवादित भूमि पर अपना अधिकार बताते हुए अपने पक्ष में फौती इन्तकाल तस्दीक कराने की गुहार की जिस पर तहसीलदार पीपल्दा द्वारा उभयपक्षों को सुना गया अपीलान्ट्स द्वारा अपने आपको लटूर आत्मज स्व0 मंगला के वारिस होना जाहिर किया और इसी प्रकार रेस्पो0 द्वारा भी मंगला पुत्र पांचू बैरवा के वारिस होना जाहिर किया और विवादित भूमि को अपने खाते व राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की प्रार्थना की जिस पर तहसीलदार द्वारा उभयपक्षो को साक्ष्य व सबूत पेश करने का अवसर दिया साक्ष्य में अपीलान्ट्स के द्वारा अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र व दादा मंगला जी के राजस्व रिकार्ड की नकले पेश की और इसी अनुसरण में मौखिक साक्ष्य पेश की किन्तु रेस्पो0 द्वारा इसका भारी विरोध किया ओर विवादित भूमि को अपने दादा स्व0 मंगला पुत्र पांचू के खाते की होना बताया और उनकी मृत्युपरान्त स्वय के खाते व कब्जे की होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात् का मनमाने तौर पर विवादित भूमि का इन्तकाल रेस्पोडेन्ट के पक्ष में करने में भारी भूल की है। अपीलाण्ट के द्वारा साक्ष्य द्वारा भली भाति सिद्ध किये जाने के पश्चात भी अपीलाण्ट के केस को सही नही मानकर विवादित भूमि का फौती इन्तकाल रेस्पो0 के पक्ष में तस्दीक करते हुए राजस्व अभिलेख में उन्हे खातेदार घोषित करने की भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने सिर्फ कब्जे के आधार पर खातेदारी मानी है, जो उचित नहीं है। अतः अपीलाट्स की अपील सव्यय स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.07.2020 निरस्त फरमाया जावे एवं विवादित भूमि का फौती इन्तकाल अपीलाण्ट्स के पक्ष में तस्दीक करते हुए राजस्व अभिलेख में उनका नाम बहैसियत खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे।

रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक का लिखित बहस में कथन है कि दोनो पक्षो ने तहसीलदार पीपल्दा के पास उपस्थित होकर सुनवाई किये जाने के बाद

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट मंगला पुत्र पांचू बैरवा निवासी लक्ष्मीपुरा के वारिसान नहीं है इसलिये खाते की आराजी ख0न0 304 रकबा 8.51 है0 भूमि दर्ज कराने का अधिकार नहीं है। लटूरलाल ,मंगला पुत्र पांचू बैरवा निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील पीपल्दा का पुत्र नहीं है लटूरलाल के पिता का नाम मन्ना है और वह ग्राम उचाखेडा जिला श्योपुर म0प्र0 का रहने वाला था, तथा अपीलाण्ट हीराबाई,मांगीलाल पप्पू महावीर हंसराज विनतोबाई, सन्तोबाई भी ग्राम उंचाखेडा पंचायत तलावदा जिला श्योपुर म0प्र0 के निवासी है। इस समर्थन में ग्राम उंचाखेडा पंचायत तलावदा जिला श्योपुर की वोटर लिस्ट प्रदर्श पत्रावली पर मौजूद है। लटूरलाल पुत्र मन्नालाल के उचाखेडा पंचायत तलावदा द्वारा एक प्रमाणीकरण पत्र दिनांक 7.7. 2017 को जारी किया गया था, जो पत्रावली पर मौजूद है। हम रेस्पोडेन्ट मंगला पुत्र पांचूलाल बैरवा के उत्तराधिकारी है जिन्है अधिनस्थ न्यायालय ने माना है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट की और से कैलाशचन्द्र, शंकरलाल तथा बृजमोहन के बयान कराऐ जिन्होने रेस्पोडेन्ट को मंगला पुत्र पाचूलाल के वारिस होना साबित किया है। अपीलाण्ट के गवाहान पप्पू ने कथन किया है कि उसके पिता ने 50वर्षो से विवादित भूमि पर काश्त नहीं की गवाह दयाराम ने भी बयान दिया है कि लटूरलाल को खेती करने नहीं देखा इसी प्रकार पप्पूलाल के गवाह किशनलाल को प्रकरण की कोई जानकारी नहीं होना कथन किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट को मंगला पुत्र पांचू बैरवा निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील पीपल्दा के उत्तराधिकारी सही रूप से मानकर उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट की खातेदारी में दर्ज करने का आदेश में कोई त्रुटि नहीं की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार पीपल्दा द्वारा दोनो पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर आवश्यक गवाहान का परीक्षण कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया है, उसमे हम दखल करना उचित नहीं समझते है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा

अति. जिला कलेक्टर
कोटा